<u>जनसूचना के प्रावधान</u>

<u>झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय</u>

<u>अधिसूचना</u>

राँची, दिनांक-6 नवम्बर, 09ई0।

संख्या-जन-सूचना 161/08 300/ वि0स0। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इसमें अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत् अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को आगे प्रभावी हेतु निम्नलिखित नियमों को बनाया हैः-

<u>संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, एवं अनुप्रयोग</u>

1- (क) ये नियम झारखण्ड विधान-सभा, सूचना का अधिकार अधिनियम (संशोधित) 2009 कहे जायेंगे ।

(ख) ये नियम अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होंगे ।

(ग) ये नियम झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय में लागू होंगे।

2- <u>परिभाषा</u>- इन नियमों में जब तक कि भिन्न सन्दर्भ आवश्यक नहीं हों ।

(क) नियम से तात्पर्य है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ।

(ख) जन-सूचना पदाधिकारी से तात्पर्य है कि इस नियम की धारा 5 (1) के तहत् झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/ उप सचिव में से कोई एक जिसे अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो ।

(ग) सहायक जन-सूचना पदाधिकारी से तात्पर्य है इस नियम की धारा 5 (2) के तहत झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के उप सचिव, अवर सचिव स्तर का पदाधिकारी जो अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो ।

(घ) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से तात्पर्य है सचिव/विशेष सचिव स्तर का वह पदाधिकारी जो अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा विर्निदिष्ट किया गया हो ।

(ङ) झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय से तात्पर्य है संविधान के अनुच्छेद 187 के तहत् स्थापित सचिवालय ।

(च) धारा का तात्पर्य है नियम की धारा ।

(छ) दूसरे सभी शब्द और अभिव्यक्तियों जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है तथा उनका अर्थ होगा जो नियम में है ।

(ज) आवेदनकर्त्ता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने नियम के तहत् यह सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया हो ।

3- <u>सूचना उपलब्ध कराने का शुल्कः-</u>

(क) रेकॉर्ड की जाँच के अतिरिक्त अभिलेख प्राप्त करने का शुल्क देय होगा जो 10-दस रुपये प्रति पेज या सक्षम पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गये दर से होगा । ये शुल्क नगद राशि, पोस्टल आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित रुप में भुगतेय होगा ।

(ख) अभिलेखों तथा रेकार्ड की जांच की दर 50/- रुपये प्रति घंटे की दर से होगा जो नगद राशि के रुप में भुगतेय होगा ।

4- सूचना प्राप्त करने का अनुरोध आवेदन में स्पष्ट विवरण के साथ होगा, जो परेशान करने वाला, द्विअर्थी या संशयात्मक न होगा, जो अभिलेखों की पहचान कराएगा । इसमें विफल होने पर अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करना जन सूचना पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा ।

5- <u>अभिलेखों की जाँच करने के संबंध मेः-</u>

नियमों के प्रावधान के अनुसार अभिलेखों को प्राप्त करने का उद्देश्य आवेदक द्वारा कार्यालय के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना नहीं होगा और वह इस कार्य में निरीक्षण पूर्ण होने तक कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, जहाँ तक संभव हो जितनी जल्द संभव हो सके, निरीक्षण सहायक जन सूचना पदाधिकारी की उपस्थिति में होगा । जन-सूचना पदाधिकारी प्रशासन की सुविधानुसार निरीक्षण की तिथि एवं समय सुनिश्चित कर आवेदनकर्त्ता को सूचित करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा ।

6- <u>छायाप्रति के रुप में सूचनाओं का उपलब्ध कराया जानाः-</u>

आवेदनकर्त्ता द्वारा मांग की गई सूचनाओं की छायाप्रति वांछित रुप में उपलब्ध करायी जाएगी ।

किसी भी सूरत में आवेदक को अभिलेख की मूल प्रति उपलब्ध नहीं करायी जायेगी ।

7- <u>पंजी का संरक्षणः-</u>

जन-सूचना पदाधिकारी/सहायक जन-सूचना पदाधिकारी एक पंजी तैयार करेंगे जिसके परिशिष्ट में प्राप्त आवेदन तथा उनके निष्पादन का सम्पूर्ण ब्यौरा होगा तथा उन पर की गई कार्रवाई निष्पादन अंकित किये जायेंगे ।

8- यदि जन-सूचना पदाधिकारी 30 (तीस) दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदक के आवेदन पर निर्णय देने में विफल होते हैं, तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने सूचना उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया ।

9- <u>सूचना प्राप्त करने का आवेदनः-</u>

(क) कोई भी व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए विहित प्रपत्र में 2.30 अपराह्न से 4.30 बजे अपराह्न के बीच निर्धारित शुल्क एवं इस नियम में वांछित घोषणा के साथ अपने आवेदन को जन-सूचना पदाधिकारी/सहायक जन-सूचना पदाधिकारी को आवेदन समर्पित करेगा ।

(ख) यदि आवेदनकर्त्ता इस नियम के अनुसार अथवा जन-सूचना पदाधिकारी ने जैसा सूचित किया हो उसके अनुसार शुल्क (07) दिनों के भीतर जमा करने में विफल हो जाता है, तो जन-सूचना पदाधिकारी द्वारा उसके आवेदन को अमान्य कर दिया जाएगा ।

10- <u>आवेदनकर्त्ता को निम्न सूचनाएँ उपलब्ध करायी जायेंगीः-</u>

(क) यदि उसका आवेदन सकारात्मक अभिकथन को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो और ऐसी सूचना कानूनी हो ।

(ख) जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हो ।

(ग) जो झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के संसाधनों से असंगत न हो ।

(घ) जो सुरक्षा के लिए हानिकारक अथवा अंकित प्रश्नों के परीक्षण से संबंधित न हो ।

(ङ) किसी नियम के विरुद्ध न हो ।

11- <u>सूचना प्रकट करने से विमुक्तिः</u>-

(क) नियम की धारा-8 के तहत निर्धारित सूचनाएँ प्रकट नहीं की जाएँगी और सूचना प्राप्त करने वाले को उपलब्ध नहीं करायी जाएंगी

(ख) कोई भी ऐसी सूचना जो नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करती हो, जिसमें उत्तर पुस्तिका भी शामिल है, तत्काल का विषय या कोई निर्णय जो सक्षम पदाधिकारी का हो ।

(ग) कोई भी ऐसी सूचना जो विधान-सभा या समिति की कार्यवाही से संबंधित हो ।

(घ) कोई भी प्रशासनिक निर्णय प्रभावित व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य को उपलब्ध नहीं करायी जाएगी ।

(ङ) कोई भी ऐसी सूचना जो न्यायालय के विचाराधीन हो, उपलब्ध नहीं करायी जाएगी ।

12- यदि कोई वांछित सूचनाएँ प्राप्त नहीं कर पाता अथवा उसे अमान्य कर दिया जाता है तो तीस (30) दिनों के पश्चात वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है ।

13- अपीलः सचिव/विशेष सचिव जो सक्षम प्राधिकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो उसके समक्ष धारा-19 के तहत् जन-सूचना पदाधिकारी के द्वारा अस्वीकृत किये गए आवेदन के विरुद्ध अपील किया जा सकता है ।

14- निरस्तः पूर्व में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् झारखण्ड विधान-सभा के द्वारा वर्ष-2005 में पारित नियम जो 1-12-2005 से प्रभावी हुआ, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

परिशिष्ट

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
क्र0सं0	आवेदन की तिथि	आवेदक का नाम और पता	निवेदन का उद्देश्य	वांछित सूचनाएँ	शुल्क भुगतान की तिथि	जिस दिन को सूचना दी गयी	अभियुक्ति

मानननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

ह0/-

(कौशल किशोर प्रसाद)

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

जन सूचना अधिकारी

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष सं0
01.	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह	संयुक्त सचिव -सह- जनसूचना पदाधिकारी	0651-2410285(आवास) 0651-2441785(कार्यालय) 9955142755 (मोबाईल)
02.	श्री हरेन्द्र कुमार साह	उप सचिव -सह- सहायक जनसूचना पदाधिकारी	9470186975(मोबाईल)

<u>जन सूचना प्राप्ति शुल्क शीर्ष</u>

क्र0सं0	शीर्ष संख्या	शीर्ष का नाम
01.	0079	अन्य प्रशासनिक सेवायें
02.	60	अन्य सेवायें
03.	800	अन्य प्राप्तियॉ
04.	118	सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् प्राप्त फीस